प्रेषक,

निदेशक,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति,
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0.
भागीदारी भवन, गोमती नगर,
लखनऊ ।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
समाज कल्याण अनुभाग–3

पत्रांकः– 591 /1–17/92–93/शो0प्र0सं0 लखनऊ, दिनांकः 20 अगस्त, 2008

विषयः– विमुक्त जातियों की सूची से त्रुटिवश विलुप्त हुई जातियों को पुनः शामिल किये जाने सम्बन्धित गुर्जर सद्भावना सभा मुजफ्फर नगर के प्रार्थना पत्र का अग्रसारण ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री सूरत सिंह वर्मा, जिलाध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, मुजफ्फर नगर के पत्र दिनांकः 7–8–2008 एवं सद्भावना सभा, मुजफ्फर नगर के पत्र (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो विमुक्त जातियों के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0–529/26–3–2001–3(2)/80 दिनांकः 27 फरवरी, 2001 में शासनादेश वर्ष 1961 एवं वर्ष 1992 का ही सन्दर्भ लिये जाने एवं शासनादेश वर्ष 1962 एवं 1994 को सन्दर्भ में न लिये जाने की स्थिति में कतिपय 19 जातियाँ जो छूट गई हैं को पुनः विमुक्त जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में है।

अवगत कराना है कि शासनादेश सं0–899(ए)/26–700(5)/1959 दिनांकः 12 मई, 1961 में उ0प्र0 की विमुक्त जातियों की सूची प्रकाशित की गई इसमें 11 स्थायी निवास करने वाली व 25 घुमन्तू जातियों की सूची जारी की गई। इस शासनादेश में यह अंकित किया गया था कि अनुसूचित जाति में अंकित जातियों को इसी सूची से अलग कर दिया गया है। (छाया प्रति संलग्न)। इस शासनादेश को शासनादेश दिनांकः 12–1–62 द्वारा खंडित करते हुए 30 विमुक्त जातियों की सूची संलग्न की गई। (छाया प्रति संलग्न) में 30 जातियों के नाम सम्मिलित थे। (छाया प्रति संलग्न) इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि दिनांकः 12–5–61 के शासनादेश के क्रम में शासन ने एक नया शासनादेश सं0–148बी/26–700(5)/1959 दिनांकः 26–3–1962 पुनः जारी किया जिसमें यह कहा गया कि 12–5–61 के शासनादेश में 19 जातियों जो अनुसूचित जाति में आती थी उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया गया था एवं पुनर्विचारोपरान्त इन 19 जातियों को भी विमुक्त जाति की सूची में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। इस शासनादेश में भी पुनः एक त्रुटि हुई वह यह कि शासनादेश दिनांकः 12 मई, 1961 में स्थायी निवासरत "भर" जाति जो क्रमांक–2 पर थी को पुनः वर्ष 1962 के शासनादेश में भी अंकित कर दिया गया जबकि शासनादेश दिनांकः 12–1–1962 में "गोधिया" जाति क्रमांक–14 पर है जो 30 जातियों में एक है।

विमुक्त जातियों से ही सम्बन्धित शासनादेश सं0–3276/26–3–92–3(42)/90 दिनांकः 2 नवम्बर, 1992 में पुनः दिनांकः 12–3–21961 में जारी की गई सूची की पुनरावृत्ति की गई, परन्तु

क्रमशः....

S.A.

शासनादेश सं0–1019(1)/26–3–92–3(42)90 दिनांकः 22 अप्रैल, 1994 द्वारा पुनः छूट गई 19 जातियों को इसमें सम्मिलित कर लिया इसमें भी "भर" जाति दोनों शासनादेशों में अंकित पायी गई जबकि "गीधिया" जाति को इसमें भी सम्मिलित नहीं किया गया ।

वर्ष 2001 में विमुक्त जातियों से सम्बन्धित नवीन शासनादेश सं0–529/26–3–2001–3(2)/80 दिनांकः 27 फरवरी, 2001 पुनः जारी किया गया जिसमें दिनांकः 12–3–1961 एवं दिनांकः 28–11–1992 में जारी सूची को ही प्रकाशित किया गया है। जबकि पुनः दिनांकः 26.3.1962 व 22.4.1994 के शासनादेशों की अनदेखी की गई है।

इसी विषय के अर्न्तगत शासन के पत्रांक–449सी0एम0/26 –3–2007 –3(33) / 2007 दिनांकः 21 सितम्बर, 2007 के अनुपालन में संस्थान के पत्रांक–874/1–50/2003–04/शो0प्र0सं0 दिनांकः 2 जनवरी, 2008 द्वारा उत्तर प्रेषित किया गया है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः संस्थान का मत है कि विमुक्त जातियों से सम्बन्धित एक नवीन शासनादेश जारी करने की अत्यन्त आवश्यकता है जिसमें ए0 वाई0 अयंगर समिति की रिपोर्ट में अंकित "गीधिया" जाति जो कतिपय कारणों से विमुक्त जाति की सूची में छूट गई है सहित छूटी हुई 19 जातियों को 27 फरवरी, 2001 के शासनादेश में अंकित 11 स्थिरवासी जातियों के साथ शामिल करते हुये कुल 30 स्थिरवासी विमुक्त जातियों का नवीन शासनादेश जारी करने का कष्ट करें। घुमन्तू विमुक्त जातियों के रूप में अंकित 25 जातियाँ यथावत बनीं रहें।

संलग्नक–उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

(दीना नाथ गुप्ता)
संयुक्त निदेशक।

S.A.

जय भीम
मा0 कांशीराम अमर रहे
बाबा साहब अमर रहे।
जय भारत
माननीय बहन कु0 मायावती जिन्दाबाद ।।

बहुजन समाज पार्टी
जनपद मुजफ्फरनगर

माननीय बहन कु0 मायावती
अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी
एवं मुख्यमंत्री (उ0प्र0)
—केन्द्रीय कार्यालयः—
गुरूद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली।
—प्रदेश कार्यालय—
साऊथ एवेन्यू, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ

BSP
BAHUJAN SAMAJ PARTY

सूरत सिंह वर्मा
जिलाध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी मुजफ्फरनगर
निवासः69 / 70 लाल बाग, गाँधी कालौनी
जनपद–मुजफ्फरनगर (उ0प्र0) पिन–251001
मो0 09412711500
जिला कार्यालय : महावीर चौक, मुजफ्फरनगर

R. No -316
1248/08

क्रमांक.................

दिनांक 07-8-2008

सेवा में,

माननीया मुख्यमंत्री महोदया,
उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।

11/8/08

विषयः-- विमुक्त जातियों की सूची से त्रुटिवश विलुप्त हुई जातियों को पुनः शामिल किये जाने सम्बन्धि गुर्जर सद्भावना सभा मुजफ्फरनगर के प्रार्थना पत्र का अग्रसारण :–

महोदया,

संलग्न गुर्जर सद्भावना सभा के प्रत्यावेदन पर अपने विवेकानुसार अध्यन से मैने पाया है कि गत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में समाज कल्याण विभाग द्वारा विमुक्त जातियों विषयक शासनादेश वर्ष 2001 जारी करते समय शासनादेश 1961 व 1992 का ही संदर्भ लिया गया व इनके संशोधनो वर्ष 1962 व 1994 का संदर्भ ग्रहण नही किया गया। इस चूक से डोम, गुर्जर नट, बदक, गीधिया, आदि 19 जातियां विमुक्त जातियो की सूची में स्थान पाने से वंचित रह गयी जो कि इन जातियों के साथ घोर अन्याय हुआ है। फलस्वरूप विमुक्त जातियो के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं से भी ये पूर्णतया वंचित हो गयी ।

आपसे प्रार्थना है कि समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा हुई इस चूक / त्रुटि का जल्द से जल्द सुधार कराकर उपरोक्त 19 जातियो के साथ हुए अन्याय को दूर कराने की कृपा करें।

भवदीय,

(सूरत सिंह वर्मा)
अध्यक्ष
बहुजन समाज पार्टी
मुजफ्फरनगर

संलग्नः— गुर्जर सद्भावना सभा मु0नगर का प्रार्थना पत्र मूल रूप में संलग्को सहित